संख्या:213/2024/912/35-4-2024/35-4099/24/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 26 जुलाई, 2024

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषय पर मझे यह कहने का निदेश हआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर में शासनादेश सं0-219/2022/818/35-4-2022/001-35-4099/24 /2022 दिनांक: 04 अगस्त, 2022 द्वारा 01 कार्य की रू. 247.53 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 123.77 लाख की तथा शासनादेश सं0- 220/2022/819/35-4-2022/001-35-4099/24/2022 दिनांक: 04 अगस्त, 2022 द्वारा 04 कार्यों की रू. 485.47 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकति प्रदान करते हए प्रथम किश्त के रूप में रू. 485.47 लाख की धनराशि अवमक्त की गयी थी। उपाध्यक्ष, गोरखपर विकास प्राधिकरण, गोरखपर दवारा पत्र संख्या-284/अभि0अन0/गो0वि0प्रा0/2024-25 दिनांक 25.06.2024 दवारा उक्त सन्दर्भित शासनादेशों से स्वीकत कल 05 कार्यों का अन्य विभाग/संस्था द्वारा करा दिये जाने के फलस्वरूप कार्यों की स्वीकृति को निरस्त किए जाने की संस्तुति की गयी है। कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

(लाख रू. में)

	शासनादेश सं0/दिनांक	**कार्य का नाम**	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	219/2022/818/35-4-2022/001-35-4099/24/2022 दिनांक: 04 अगस्त, 2022	शास्त्री चौक का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण का कार्य	247.53	123.77
2	220/2022/819/35-4-2022/001-35-4099/24/2022 दिनांक: 04 अगस्त, 2022	डा0 बी0आर0 अम्बेडकर चौक का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण का कार्य।	136.52	136.52
3		टाउन हाल चौराहा का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण का कार्य।	93.87	93.87
4		गोलघर चौराहा का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण का कार्य।	134.41	134.41
5		विजय चौक का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण का कार्य।	120.67	120.67
		योग	**733.00**	**609.24**

2. अत: सम्यक विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-219/2022/818/35-4-2022/001-35-4099/24/2022 दिनांक 04 अगस्त, 2022 तथा शासनादेश संख्या-220/2022/819/35-4-2022/001-35-4099/24/2022 दिनांक: 04 अगस्त, 2022 दवारा स्वीकत उपर्यक्त तालिका में अंकित 05 कार्यों लागत रू. 733.00 लाख (रू. सात करोड़ तैंतीस लाख मात्र) की स्वीकृति को निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृत प्रदान करते हैं। कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:213/2024/912(1)/35-4-2024/35-4099/24/2022 तददिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
13- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।